न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

71/2006

सीलिंग प्रकरण संख्या – 139 / 2006

सालय / प्रार्थी **बनाम** **गैर सायलान / अप्रार्थीगण**

1. सरकार

स्वरूपसिंह पुत्र श्री अजीतसिंह निवासी रातानाडा, जोधपुर

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक सरकार की तरफ सें।

राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15(2) के अन्तगर्त

–:आदेश:– दिनांक 03-12-2021

1. इस सीलिंग प्रकरण में तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि उपजिलाधीश बाली ने उनके प्रकरण संख्या 11 / 1970 अनवान सरकार बनाम स्वरूपसिंह पुत्र अजीतसिंह निर्णय दिनांक 19.02.1970 मे अप्रार्थी के पास निर्धारित सीलिंग सीमा से 122 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिक मानते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया गया। किन्तु उपजिलाधीश जोधपुर ने उनके प्रकरण संख्या 29 / 1970 निर्णय दिनांक 04.10.1970 में अप्रार्थी द्वारा बताये गये हस्तानान्तरणों को मान्यता देते हुए अप्रार्थी द्वारा सीलिंग सीमा से अधिक भूमि को समर्पित करने का निर्णय पारित किया गया। राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 11.11.1976 द्वारा उपजिलाधीश जोधपुर के निर्णय दिनांक 04.10.1970 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के अध्याय 3-बी के अनुसार नही मानते हुए और राज्यहित के प्रतिकुल मानते हुए, राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) मे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण अतिरिक्त जिलाधीश, पाली को प्रेषित कर उक्त आदेश दिनांक 11.11.1976 के प्रकाश मे कथित सीलिंग प्रकरण को खोलकर तथा अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के निर्देशो के साथ पुनः निर्णय करने हेतु भिजवाया गया।

2. प्रकरण को श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 68 / 76 दर्ज कर गैरसायल को नोटिस तलब किया तथा संबंधित तहसीलदार से गैरसायल द्वारा दिनांक 15.2.1958, 01.12.1959, 15.12.1963, 01.6.1966 तथा 31.12.1969 एवं वर्तमान मे धारित भूमि का विवरण मय जमाबन्दी व नामान्तरकरण की प्रतिलिपिंया मगवाने तथा गैरसायल के परिवार के सदस्यों का विवरण मगवाया जाने हेतु लिखा गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

3. तत्पश्चात दिनांक 11.8.1977 को गैरसायल की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनराज मेहता उपस्थित। उनके द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया। गैरसायल के अधिवक्ता ने दिनांक 20.01.1979 को गैरसायल की तरफ से जवाब पेश कर निम्नानुसार निवेदन किया:–

- यह हैं कि गैरसायल स्वरूपसिंह ने इस जवाब के साथ संलग्न अनुसुची में दर्ज अनुसार कृषि भूमि का हस्तानान्तरण किये तथा दस्तावेजात तकमिल किये। जो असल दस्तावेज ट्रांसफरीज के पास में हैं।
- यह हैं कि अनुसूची मे दर्ज अनुसार जिन व्यक्तियों को गैरसायल ने कृषि भूमि अन्तरण की वे सभी ट्रांसफरीज राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होने के पहले से राजस्थान के निवासी हैं। ये सभी ट्रांसफरीज धंधे से काश्तकार हैं तथा अन्तरण के समय भूमि हीन काश्तकार थे।
- यह हैं कि अन्तरण की हुई भूमि अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हैं यानी 30 स्टेण्डर्ड एकड से अधिक नहीं हैं। यह सभी अन्तरण सदभावी हैं तथा गैर सायल को रकम की सख्त जरूरत होने से किये गये थे। इन अन्तरणों के करने मे गैर सायल का सीलिंग कानून को विफल करने का कोई इरादा नहीं था और न हैं। अनुसूचि मे अंकित सभी अन्तरण राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 30 डी व 30 डी.डी. के प्रावधानों के अनुसार हैं। अतः मान्यता दिये जाने योग्य हैं।
- यह हैं कि सभी अन्तरणें का नामान्तरकरण ट्रांसफरीज के पक्ष मे हो चुका हैं जो पत्रावली पर विद्यमान प्रमाणों से प्रमाणित हैं।
- यह हैं कि मौजा ग्राम नारलाई की जमीन का म्यूटेशन ट्रांसफरीज के पक्ष में किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र सरपंच नारलाई के समक्ष दिनांक 5.1.1969 व 7.1.1969 को पेश किये गये थे, जिस पर सरपंच नारलाई द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 7.1.1969 को हल्का पट्वारी नारलाई के पास इस निर्देश के साथ भेजे की म्यूटेशन फॉर्म भर कर पेश किये जाये। लेकिन हल्का पटवारी ने रिपोर्ट तारीख 23.1.1969 के यह कह कर म्यूटेशन फॉर्म भरने से इन्कार किया की उक्त जमीन सीलिंग प्रभावित हैं। तत्पश्चात फिकरा नम्बर 4 में दर्ज अनुसार म्यूटेशन हुए।
- यह हैं कि ट्रांसफरीज सुमेरचंद, दीने खां व गणेश दत्त ने भूमियां आगे अन्य व्यक्तियों को बाद मे मुन्तकिल की हैं।
- यह हैं कि उपखण्ड अधिकारी बाली के पूर्व निर्णय दिनांक 19.12.1970 द्वारा गैर सायल से 849 बीघा 14 बिस्वा भूमि पूर्व में अधिग्रहण की जा चुकी हैं।

अतः जवाब पेश कर निवेदन किया की उक्त सीलिंग प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप फरमावें।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

4. गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब पर न्यायालय द्वारा दिनांक 28.2.1979 को तनकियात कायम की गई जो निम्नानुसार हैं:–

I. दिनांक 25.2.1958, 15.12.1963, 01.4.1966 व 31.12.1966 को गैर सायल के पास कुल कितनी खातेदारी भूमि धारित थी एवं इन तारिखों मे काई अन्तर हैं ता क्यों? (गैरसायल)

II. दिनांक 1.4.1966 की गैर सायल के परिवार मे कुल कितने सदस्य थे जिनमे से कितने गैर सायल पर आश्रित थे? (गैरसायल)

III. गैर सायल द्वारा किस किस भूमि का हस्तानान्तरण किया हैं तथा वे हस्तानान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 30 डी. व 30 डी.डी. के तहत मान्यता देने योग्य हैं एवं सद्भावी हैं अथवा नहीं? (गैरसायल)

5. तत्पश्चात गैरसायल के अभिभाषक द्वारा वास्ते शहादत हेतु समय चाहा गया। पटवारी हल्का को मय रेकर्ड वास्ते शहादत तलब किया गया। सरकारी शहादत हेतु श्री देवीचन्द पटवारी नारलाई उपस्थित, जिनके बयान पी.डब्लू.–1 कलमबद्ध किये गये। गैर सायल की ओर से साक्ष्य में गवाह हंसाजी, वक्ता, नेनाराम, उमराव खां, वरदाराम, शोभाराम, ओगड, राजाराम, भूराराम एवं देवाराम के बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेज प्रदर्श एनए–1 से एनए–9 तक संलग्न मिसल किये।

6. तत्पश्चात श्रीमान जिला कलेक्टर पाली के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2006/264 दिनांक 25.3.2006 द्वारा पत्रावली अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई जो दर्ज रजिस्टर प्रकरण संख्या 71/06 दर्ज कर संबंधित को जरिये नोटिस सूचित किया गया।

7. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.11.1976 मे दिये गये निर्देशो की पालना में कलक्टर जिलाधीश जोधपुर के प्रकरण को तलब किये जाने हेतु कई बार पत्राचार किया गया। तत्पश्चात न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा जरिये पत्रांक 443 दिनांक 8.7.2011 के उपखण्ड अधिकारी जोधपुर की सीलिंग पत्रावली संख्या 29ए/70 सरकार बनाम अजीतसिंह निर्णय दिनांक 04.10.1971 की मूल पत्रावली इस न्यायालय को भीजवाई गई, जो इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 71/2006 के साथ नत्थी की गई।

8. प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा गैरसायल हेतु कायम की गई तनकियात (जिसका उल्लेख उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 4 में वर्णित हैं) को सिद्ध करने के लिए गैरसायल के विद्वान अभिभाषक द्वारा किसी प्रकार के साक्ष्य, सबूत व दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये अर्थात गैरसायल के विद्वान अभिभाषक ने इस न्यायाय द्वारा कायम की गई तनकीयात सिद्ध नहीं की गई। तत्पश्चात प्रकरण में बहस मुकर्रर की गई तथा गैरसायल के

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

विद्वान अभिभाषक को बहस हेतु अवगत कराया गया। गैरसायल के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस हेतु बार–बार समय चाहा जो की इस न्यायालय द्वारा लगभग 8 वर्ष का समय व प्रर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी गैरसायल के विद्वान अभिभषक द्वारा न तो बहस की गई और न ही अपने पक्ष में किसी प्रकार के साक्ष्य, सबुत व दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिससे सिद्ध होता हैं कि गैरसायल के द्वारा महज उक्त सीलिंग प्रकरण से बचने हेतु इतना लम्बा समय व्यतित होने के बावजुद भी उक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं करवाना चाहते। अतः प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाना न्यायोचित है।

9. प्रकरण में एक पक्षीय बहस सूनी गई।

10. सायल की ओर से राजकिय अभिभाषक ने अपनी मोखिक बहस में निवेदन किया की पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड अनुसार गैरसायल स्वरूपसिंह के पास दिनांक 1.4.1966 को धारित भूमि का विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	जिले का नाम	उपखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कुल धारित भूमि (रकबा बीघा–बिस्वा मे)
1	पाली	देसूरी	नारलाई	1681 बीघा 13 बिस्वा
2	पाली	जैतारण	पाटवा	218 बीघा 02 बिस्वा
			कुल भूमि रकबा	1899 बीघा 15 बिस्वा

इस प्रकार गैरसायल स्वरूपसिंह के पास कुल 1899 बीघा 15 बिस्वा भूमि धारित थी। गैरसायल के परिवार में 5 से अधिक सदस्य नहीं होने से गैरसायल का परिवार एक यूनिट ही था। सीलिंग कानून अनुसार एक यूनिट तक पाली जिले में केवल 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अर्थात 135 बीघा भूमि ही रखने का अधिकारी है।

11. साथ ही राजकिय अभिभाषक ने निवेदन किया की प्रकरण में गैरसायल व उनके परिवार द्वारा किये गये हस्तानांतरण सीलिंग अधीनियम 1953 की धारा 30डी. व 30 डी.डी. के तहत कानूनी रूप से मानने योग्य नहीं होने से उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। गैरसायल द्वारा सीलिंग कार्यवाही से बचने व सीलिंग कानून को प्रभावित करने के उद्देश्य से उक्त समस्त हस्तानान्तरण को आधार बनाया गया हैं। अतः समस्त हस्तानान्तरण अस्विकार फरमावे।

12. हमने राजकिय अभिभाष की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया मिसल पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकरण में राज्य

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

सरकार के निर्देशानुसार केवल गैरसायल स्वरूपसिंह द्वारा धारित भूमि का ही निर्णय करना हैं। पत्रावली मे उपलब्ध रेकर्ड से स्पष्ट होता हैं कि गैरसायल स्वरूपसिंह के दिनांक 25.2.1958 से 1.4.1966 तक (पैरा संख्या 10 में वर्णितानुसार) कुल 1899 बीघा 15 बिस्वा भूमि धारित थी। गैरसायल द्वारा किये गये समस्त हस्तानान्तरण धारा 30डी. व 30डी.डी. के अनुरूप कानूनी रूप से मानने योग्य नहीं होने से मान्यता प्रदान नहीं की जाती तथा समस्त हस्तानान्तरण अस्वीकार किये जाते हैं।

13. गैरसायल का परिवार एक यूनीट होने से केवल 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि यानी 135 बीघा भूमि ही रखने का अधिकारी हैं। अतः शेष 1899.15 – 135 = 1764 बीघा 15 बिस्वा भूमि अधिग्रहण योग्य होने से अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार देसूरी, तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता हैं कि गैरसायल से 15 दिवस में विकल्प प्राप्त करे। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में तहसीलदार सर्वप्रथम भाररहित भूमि अधिग्रहण करे। अगर इस कानून के तहत पूर्व में कोई भूमि अधिग्रहित की गई हो तो उसका समायोजन किया जावें। इसके पश्चात अधिग्रहण से भूमि शेष रहती हैं तो अन्तरित क्रम से क्रेताओं से भूमि अधिग्रहण की जावे। भूमि अधिग्रहित कर एक माह में पालना रिपोर्ट न्यायालय को पेश करे।

14. आदेश की प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली, उपखण्ड अधिकारी देसूरी व उपखण्ड अधिकारी जैतारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 03-12-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)